न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 14 / 2021

1 रोहिताश
2 शीशराम पुत्रगण गिरधारी
3 लिछमण पुत्र सुरजा
4 प्रहलाद पुत्र मुरलीधर
5 सुलतान पुत्र भागू
6 सुरेश पुत्र गोमा समस्त जाति यादव निवासीगण उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 भानाराम पुत्र मोतीराम जाति अहीर निवासी उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 कजोड़
3 गिरधारी
4 फूला
5 भगवाना पुत्रगण झूला
6 रमेश
7 अशोक पुत्रगण भागीरथ पौत्र दूला
8 सोहनी
9 शारदा
10 निमू
11 बिमला
12 अंजु
13 सुखा पुत्रियां भागीरथ पौत्रियां दूला
14 गोठी पत्नी भागीरथ
15 हरलाल पुत्र प्रभात पौत्र दूला
16 संतोष पत्नी प्रभात
17 केशर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

18 सुमन पुत्रियां प्रभात पौत्रियां दूला
19 कालू पुत्र जमन
20 सीताराम
21 रामस्वरूप पुत्रगण बहादुर पौत्र जमन
22 धोली देवी
23 मंजू देवी
24 मनिषा देवी पुत्रियां बहादुर पौत्रियां जमन
25 कालू
26 रघुनाथ पुत्रगण माना
27/1 कैलाश
27/2 बहादुर
27/3 रमेश
27/4 दीपचंद
27/5 कालूलाल पुत्रगण मालाराम
27/6 रतनी पुत्री मालाराम
27/8 गुलाब पुत्री मालाराम
27/9 जमना पुत्री मालाराम
28 सचिन पुत्र गणपत पौत्र हाफू
29 नानछी देवी पत्नी गणपत
30 पूरणमल दत्तक पुत्र रामेश्वर पौत्र हाफू
31 हंसा
32 रोशनी
33 संतोष
34 मीना
35 बिमला
36 सरोज
37 सुशीला
38 आँची पुत्रियां गणपत पौत्रियां हाफू
39 ग्यारसी देवी
40 गुलाबी देवी
41 गीता देवी पुत्रियां रामरतन
42 गीदाराम
43 बजरंग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

44 श्यामलाल पुत्रगण रामरतन
45 बिड़दी पत्नी रामरतन
46 सुमित्रा पुत्री गिरधारी
47 सुशीला पुत्री गिरधारी
48 सोनी देवी पत्नी गिरधारी
49 धूड़ाराम
50 भोलाराम पुत्रगण हणमान
51 मुली पत्नी हणमान
52 नारायणी पत्नी मुरलीधर
53 नानूराम पुत्र बालु (मृत)
53/1 धापू देवी उम्र 75 साल पत्नी नानूराम
53/2 रूडाराम आयु 55 साल पुत्र नानूराम
53/3 खेमाराम आयु 52 साल पुत्र नानूराम
53/4 लालूराम आयु 42 साल पुत्र नानूराम
53/5 रोहताश आयु 39 साल पुत्र नानूराम
53/6 मन्नी आयु 49 साल पुत्री नानूराम
53/7 मिश्री आयु 46 साल पुत्री नानूराम
53/8 मीरा आयु 44 साल पुत्री नानूराम
53/9 चुका आयु 37 साल पुत्री नानूराम
समस्त जाति यादव निवासीगण उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
54 मदनलाल
55 सुण्डाराम
56 सांवलराम
57 नानछी पत्नी झूथाराम
58 पपू
59 बनवारी पुत्रगण गणेश
60 धूडाराम पुत्र भागू पौत्र गोपी
61 अणची देवी
62 रूकमा देवी पुत्रियां भागू पौत्रियां गोपी
63 सुरजी पत्नी सूरजा (मृत नाम हजफ)
64 सूरजा पुत्र रामू
65 बागाराम पुत्र झूंथाराम
समस्त जाति यादव निवासीगण उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

66 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
67 मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पलसाना।
68 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाजोद।
69 मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जाजोद।
70 मैनेजर एक्सीस बैंक शाखा श्रीमाधोपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम
डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट
ट्रेक खण्डेला जिला सीकर पीठासीन अधिकारी
श्री राकेश कुमार आरएएस दावा संख्या 32/2019
उनवानी भानाराम बनाम कजोड़ आदि दिनांकित
08.01.2021

उपस्थिति :
1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महावीर प्रसाद, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 21/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 645, 647, 648, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 699, 700, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 वाके ग्राम उदयपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस संख्या 1 व 2 को अपीलाधीन वाद में बतौर प्रतिवादी संख्या 45 के कायम मुकाम के आदेश दिनांक 04.01.2021 की पालना में पक्षकार बनाया गया है। जिनका अपीलाधीन मुकदमें का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट संख्या 3 लिछमण बतौर प्रतिवादी संख्या 62 पक्षकार है। जिसकी तामीली कार्यवाही पूर्ण हुये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.01.2021 पारित किया गया है। अपीलान्टस संख्या 1 ता 3 को अन्यथा भी कोई जानकारी अपीलाधीन वाद के बारे में नही रही है। इस प्रकार अपीलाधीन वाद के अपीलान्टस संख्या 1 ता 3 को किसी तरह की सूचना सुनवाई का अवसद प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में निर्णय व अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलाधीन वाद के प्रतिवादी संख्या 45 के कायम मुकामान प्रतिवादीगण संख्या 18, 50, 62, 63, 66 की तामीली कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई है। जो प्रकियात्मक विधि के विपरित होने के कारण भी स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलान्टस संख्या 4 ता 6 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजे गये जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है उसके खिलाफ विस्तृत रूप से अन्य प्रतिवादीगण से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण व आधार का उल्लेख किये बिना केवल मात्र यह अंकित करते हुए कि आपत्ति केवल प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करवाने वाले पाये जाते है, खारिज कर दिये गये तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अवैध रूप से निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो कतई विधि सम्मत नहीं होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट संख्या 4 ता 6 द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा जिस तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है उसके संबंध में विस्तृत रूप से जो आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, आपत्ति आवेदनों में प्रस्तुत आधार प्रस्तुत अपील के आधार भी मान्य किये जाने योग्य है। जिनकी परिधि में अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है वह सर्वथा अवैध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की प्रतिकुल है। विभाजन प्रस्ताव करते समय अपीलान्टस को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अति कीमती रोड़ पर अकेले को जमीन प्रस्तावित की गई। प्रतिवादी संख्या 49 ने प्रतिवादी नाथाराम को 3 बीघा जमीन बेची थी, उसे बंटवारे में 0.99 है. जमीन दे दी गई। अपीलांट सुरेन्द्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भानाराम बराबर–बराबर हकदार है। परंतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उससे काफी ज्यादा जमीन प्रस्तावित की गई है। बंटवारा प्रस्ताव मौके की स्थिति के अनुसार ही नहीं है तथा खसरा नम्बर 645 में प्रतिवादी संख्या 65 का हिस्सा 0.21 है. जबकि दिया 0.20 है. एवं प्रतिवादी संख्या 19 से 23 के पिता बहादुर सिंह सहखातेदार होने के बावजूद उसे कोई जमीन बंटवारे में प्रस्तावित नहीं की गई है। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त वस्तुस्थिति के विपरित विभाजन प्रस्ताव को सही मानते हुए अवैध रूप से निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी गई है जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं होकर निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 08.01.2021 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी भानाराम द्वारा ग्राम उदयपुरा की भूमि खसरा नम्बर 645, 647, 648, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 699, 700,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर विभाजन के नियमों के अनुसार विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार खण्डेला द्वारा तैयार कर प्रेषित किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अंकन है कि मौके पर वाद व प्रतिवादीगण हाजिर होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 645, 647, 648, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 699, 700, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 वाके ग्राम उदयपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा माननीय मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांटस को नोटिस जारी किये जाने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है। विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के संदर्भ में अपीलान्ट का आक्षेप है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलान्टस संख्या 1 व 2 को अपीलाधीन वाद में बतौर प्रतिवादी संख्या 45 के कायम मुकाम के आदेश दिनांक 04.01.2021 की पालना में पक्षकार बनाया गया है। जिनको अपीलाधीन मुकदमे का कोई नोटिस जारी नही किया गया है तथा अपीलान्ट संख्या 3 लिछमण बतौर प्रतिवादी संख्या 62 पक्षकार है। जिसकी तामीली कार्यवाही पूर्ण हुये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.01.2021 पारित किया गया है।

अपीलान्टस संख्या 1 ता 3 को जानकारी अपीलाधीन वाद के बारे में नही रही है। इस प्रकार अपीलाधीन वाद के अपीलान्टस संख्या 1 ता 3 को किसी तरह की सूचना सुनवाई का अवसद प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरित होने के कारण स्थिर रहने योग्य नही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में निर्णय व अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलाधीन वाद के प्रतिवादी संख्या 45 के कायम मुकामान प्रतिवादीगण संख्या 18, 50, 62, 63, 66 की तामीली कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर तहसीलदार से उभयपक्ष की उपस्थिति मे पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण मे गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन अपील प्राधिकारी,
सीकर